

राजस्थान सरकार  
कार्यालय महाधिवक्ता राजस्थान

क्रमांक: एजी/संस्था/RTI/2024/208-215

जयपुर, दिनांक: 16.02.24

::कार्यालय आदेश::

विधि मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, जो भारत सरकार के असाधारण राजपत्र दिनांक 21.06.2005 में प्रकाशित हुआ है कि धारा 5(1) एवं 10(1) के अनुसरण में महाधिवक्ता राजस्थान, के कार्यालय जयपुर/जोधपुर/नई दिल्ली को एक शासकीय ईकाई मानते हुए उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्रों के निस्तारण के लिए निम्न लिखित अधिकारियों को राज्य लोक सूचना अधिकारी तुरन्त प्रभाव से मनोनीत किया जाता है:-

क्र० सं०	कार्यालय का नाम	राज्य लोक सूचना अधिकारी
1.	कार्यालय महाधिवक्ता राजस्थान, जयपुर	श्री बसन्त सिंह छाबा, अति० महाधिवक्ता
2.	कार्यालय महाधिवक्ता राजस्थान, जोधपुर	डा० प्रवीण खण्डेलवाल, अति० महाधिवक्ता

—Sd—

महाधिवक्ता

राजस्थान, जयपुर

जयपुर, दिनांक: 16.02.24

क्रमांक: एजी/संस्था/RTI/2024/215

प्रतिलिपि वास्ते सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख शासन सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
3. मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग, जयपुर।
5. श्री बसन्त सिंह छाबा, अति० महाधिवक्ता, जयपुर।
6. डा० प्रवीण खण्डेलवाल, अति० महाधिवक्ता, जयपुर
- ✓ 7. श्री शिवनन्दन सिंह, एनालिस्ट कम प्रोग्रामर (उप निदेशक) कार्यालय महाधिवक्ता, राजस्थान, जयपुर को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

—Sd—

महाधिवक्ता

राजस्थान, जयपुर